

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—मु० ३०-४ (मु०)नाबार्ड—०३-२४२/२०१८ - २३।।

/पटना, दिनांक—८/७/२०२०

प्रेषक,

संजय दूबे, मा०प्र०स०
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः— योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, चकिया के अधीन केसरिया प्रखड़ के आर०डब्लू०डी० रोड कोरा चौक से बनकट तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई ०.२६० कि०मी० निर्माण हेतु रु० १९.२४२ लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० १.३९७ लाख अर्थात् कुल २०.६३९ लाख रुपये (बीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ मात्र) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना— उप शीर्ष—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, चकिया के अधीन केसरिया प्रखड़ के आर०डब्लू०डी० रोड कोरा चौक से बनकट तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई ०.२६० कि०मी० निर्माण हेतु रु० १९.२४२ लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० १.३९७ लाख अर्थात् कुल २०.६३९ लाख रुपये (बीस लाख तिरसठ हजार नौ सौ मात्र) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष २०२०—२१ एवं २०२१—२२ में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—१०३—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड ३७—४५१५००१०३०१०५ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०—२१ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—१०३—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०—२१ में ३००.०० करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी एवं मुख्य अभियंता—३ के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, चकिया यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या— मु० ३०-४ (मु०)नाबार्ड—०३-२४२/२०१८ के पृ० सं०-०३/टि० पर दिनांक—२२.०६.२०२० को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०— मु० ३०-४ (मु०)नाबार्ड—०३-२४२/२०१८ के पृ० सं०-०५/टि० पर दिनांक—२६.०६.२०२० को प्राप्त है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

४
१७/७/२०२०

S.P.

11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वयन करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं- मु0 अ0-4 (मु0)नाबार्ड-03-242/2018 के पृष्ठ संख्या- १ /टि० पर दिनांक- ३.७.२०२० को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्णविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

८/७/२०२०

(संजय दूबे)

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-८/७/२०२०

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0)नाबार्ड-03-242/2018 - २३।।

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८/७/२०२०

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-८/७/२०२०

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0)नाबार्ड-03-242/2018 - २३।।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८/७/२०२०

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-८/७/२०२०

ज्ञापांक- मु0 अ0-4 (मु0)नाबार्ड-03-242/2018 - २३।।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-३, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, चकिया/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम०आई०एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम०आई०एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

८/७/२०२०

अपर सचिव